National Journal of Multidisciplinary Research and Development
www.multinationaljournal.com
ISSN: 2455-9040
Received: 22-03-2026, Accepted: 22-04-2026, Published: 07-05-2026
Volume 11, Issue 2, 2026, Page No. 48-51

भारत में चुनावी सुधारों की आवश्यकता एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

दीपक नाथ[1], डॉ हेमा[2]

[1] शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, एस एस जे राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय स्याल्दे अल्मोड़ा, सोबन सिहं जीना विश्वविद्यालय अल्मोडा, उत्तराखण्ड, भारत

[2] विभागाध्यक्ष एवम् असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, एस एस जे राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय स्याल्दे अल्मोड़ा, सोबन सिहं जीना विश्वविद्यालय अल्मोडा, उत्तराखण्ड, भारत

सारांश

चुनाव सुधार से तात्पर्य किसी देश में चुनावी प्रक्रिया की दक्षता, पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढाने के उद्देश्य से किये गए व्यवस्थित परिवर्तनों से हैं। भारत जैसे लोकतन्त्र में, चुनाव राजनीतिक वैधता और नागरिक भागीदारी की आधारशिला होते हैं। इसलिए स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराना लोकतांत्रिक शासन को बनाए रखने के लिए मूलभूत आवश्यकता हैं। हालांकि, समय के साथ, चुनावी प्रक्रिया को धन और बल का दुरुपयोग, राजनीति का अपराधीकरण, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतन्त्र की कमी और मतदान में कम भागीदारी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता हैं। यह शोध यह बतायेगा की इन मुद्दों पर काबू पाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने के लिए चुनावी सुधार अनिवार्य हो गए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य कानूनी ढांचे को मजबूत करना, संस्थागत तन्त्र में सुधार करना और चुनावी प्रणाली में जनता का विश्वास बहाल करना हैं। भारत में चुनाव सुधार लोकतन्त्र को मजबूत करने, मतदान प्रक्रिया की अखंडता को मजबूत करने और राजनीति के अपराधीकरण, धन के अत्यधिक प्रभाव और मतदाता उदासीनता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए आवश्यक है। प्रमुख जरूरतों में फंडिंग में पारदर्शिता बढाना, अवैध धन और बाहुबल के इस्तेमाल पर अंकुश लगाना और स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना शामिल हैं।

मूल शब्दः चुनाव सुधार, निर्वाचन आयोग, अपराधीकरण, पारदर्शिता, मतदाता सूची, मतदान प्रक्रिया, निष्पक्षता, लोकतन्त्र, आधुनिकीकरण

प्रस्तावना

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है और संविधान चुनाव के लागू होने से लेकर देश में अठारह आम चुनाव व अनेक विधान सभा चुनाव हो चुके हैं, जिनके द्वारा मतदाताओं ने कई बार सत्ता परिवर्तन भी किया है। फिर भी यहां की चुनाव प्रणाली में बहुत सी खामियाँ है, जिससे चुनावों के प्रति लोगों की आस्था कम होती जा रही है। यदि इन खामियों को दूर नहीं किया गया तो आने वाले समय में चुनावों से जनता का विश्वास पूर्णरूप से उठ जाएगा चुनावों में काले धन, बाहुबल का प्रयोग, हिंसा, मतदान केन्द्रों पर कब्जा, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, फर्जी मतदान, नियमों का उल्लंघन, चुनावी अधिकारियों द्वारा पक्षपात, निर्वाचन अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव आदि ये ऐसी प्रवृत्तियां बढती जा रही हैं। एल०एम० सिंघवीं के अनुसार हमारे संविधान ने आधुनिक उदारवादी दर्शन के सार तत्व सार्वभौम व्यस्क मताधिकार को अपनाया है, परन्तु इसके पूरे अर्थ का अभी उद्घाटन होना है अभी इसे न्याय, स्वतन्त्रता तथा क्षमता के उदात्त लक्ष्यों की सिद्धि का शासन बनाना शेष है। यदि हमें इस महत तथा भव्य आदर्श को यथार्थ से घरातल पर लाना है, तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपने निर्वाचन– प्रक्रमों के वास्तविक स्वरूप तथा त्रुटियों एवम् विकृतियों का परिचय प्राप्त करें और उनकी शुद्धता की रक्षा के लिए पृथक, प्रयास करें। इन त्रुटियों को दूर करके भारत की लोकतान्त्रिक व्यवस्था को और भी अधिक मजबूत किया जा सकता है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य भारत में लोकतान्त्रिक चुनाव प्रक्रिया में सुधार पर जोर देना है। किसी भी लोकतन्त्र के लिए निष्पक्ष पारदर्शी, नियमित चुनाव होना उसकी सफलता के लिए आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा चुनाव कराना राजनीतिक दलों के बावजूद एक निष्पक्ष प्रक्रिया है। निर्वाचन आयोग ने समय–समय पर चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए अनेक कदम उठाये हैं। अभी भी धनबल एवम् बाहुबल के प्रभाव को रोकने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

प्रस्तुत शोधपत्र में भारत में चुनाव एवम् चुनाव सुधार का अध्ययन किया गया हैं। जिसके निम्न उद्देश्य हैं।

1. चुनाव सुधार के उन क्षेत्रों के बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा, जिन क्षेत्रों पर कम ध्यान केन्द्रित किया गया है।
2. भारत में चुनाव एवम् चुनाव सुधार पर जनता को जागरूक करना।
3. मतदाताओं के व्यवहार को सुधारने के लिए चुनाव की कमियों को दूर करने के प्रयासों का अध्ययन करना।
4. अब तक चुनाव सुधार हेतु किये गये सरकारी एवम् गैर–सरकारी प्रयासों के परिणामों की समीक्षा करना।
5. भारतीय निर्वाचन आयोग के संगठन एवम् कार्यप्रणाली का अध्ययन करना।
6. निर्वाचन सुधार हेतु गठित विभिन्न समितियों एवम् आयोगों की सिफारिशो का अध्ययन करना।
7. चुनाव सुधार में राजनीतिक दलों की भूमिका का अध्ययन करना।
8. चुनाव सुधारों के लिए समय–समय पर न्यायपालिका द्वारा दिये गये निर्णयों का अध्ययन करना।
9. चुनाव प्रणाली में विद्यमान कमियों का अध्ययन करके, उनके समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत शोधपत्र भारत में चुनाव एवम् – चुनाव सुधार में उच्च स्तरीय विश्वसनीयता लाने के लिए यथासम्भव प्राथमिक तथा द्वितीयक स्त्रोतों का उपयोग किया गया है। एक प्रश्नावली भी तैयार की गई है जिसके माध्यम से समाज के प्रबुद्ध लोगों यथा राजनेताओं, जागरूक मतदाताओं, अधिकारियों एवम् शिक्षकों से यह जानने का प्रयास किया गया है कि आज भी चुनाव प्रक्रिया में क्या–क्या कमियाँ है तथा इन कमियों को दूर करने के

क्या–क्या प्रयास हो सकते हैं। एकत्रित आँकड़ों का अवलोकन एवम् विश्लेषण करके वांछित निष्कर्ष प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

साहित्यावलोकन: भारत में चुनाव एवम् चुनाव सुधार के सन्दर्भ में किये गये इस अध्ययन के उद्देश्यों तथा शोध पद्धति का विवरण प्रस्तुत करते हुए इस विषय पर लिखे गये साहित्य का अवलोकन किया गया है यथा –

सुभाष कश्यप ने अपनी रचना "दल–बदल और राज्यों की राजनीति" (1970) में लिखा है कि भारतीय राजनीति में दल–बदल की प्रवृति ने लोकतन्त्र को काफी आघात पहुँचाया है। दल–बदल मतदाताओं के साथ किया गया धोखा होता है, चुनाव सुधारों के माध्यम से सबसे पहले इसमें सुधार की आवश्यकता है।

आचार्य भालचन्द्र गोस्वामी ने अपनी रचना "भारत में चुनाव सुधार दशा और दिशा" (1999) में भारत में चुनाव प्रणाली की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करते हुए इसकी विभिन्न प्रकार की कमियों का उल्लेख किया है। साथ ही इन कमियों को दूर करने हेतु किए गये प्रयासों का भी वर्णन किया गया है।

महेश्वर सिंह ने अपनी पुस्तक 'भारतीय लोकतन्त्र समस्याएँ व समाधान" (2000) में भारतीय लोकतन्त्र में विद्यमान बाहुबल, धनबल, जातिवाद, सम्प्रदायवा क्षेत्रवाद तथा भाषावाद जैसी समस्याओं का उल्लेख करते हुए इन समस्याओं के समाधान के उपाय भी सुझाये हैं।

मनोज अग्रवाल द्वारा रचित ग्रन्थ "चुनाव सुधार– सुशासन की ओर एक कदम" (2015) में भारत में सुशासन की दिशा में चुनाव सुधार को एक कदम बताया गया है। इसके अलावा भारत में चुनाव सुधारों की महती आवश्यकता पर बल देते हुए, इस दिशा में अब तक किये गये प्रयासों की सराहना भी की गई है।

उपयुक्त विवेचन द्वारा शोध विषय से समबन्धित साहित्य की समीक्षा करने का प्रयास किया गया हैं। समय तथा अन्य परिस्थितियों की सीमाओं में रहते हुए जो साहित्य सुलभ हो पाये, उन्हीं की यहाँ समीक्षा की गई है है।

भारत का निर्वाचन आयोग: भारत का निर्वाचन आयोग, जिसे – चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है, यह देश में लोकसभा, राज्य सभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता हैं। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से सम्बन्धित है जिसमें चुनावों के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई हैं। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से सम्बन्धित हैं।

निर्वाचन आयोग की संरचना: निर्वाचन आयोग में मूलत: केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिये 16 अक्टूबर, 1989 को इसे तीन सदस्यीय बना दिया गया। इसके बाद कुछ समय के लिए इसे एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 को इसका तीन सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया । तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त IAS रैंक का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा दो अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (दोनों में से जो भी पहले हो) तक होता है। इन्हे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवम् भत्ते मिलते हैं।

निर्वाचन आयोग के कार्य

- चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की सम्पूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है।
- इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य आम चुनाव या उप–चुनाव कराने के लिये समय–समय पर चुनाव कार्यक्रम तय करना है।
- यह निर्वाचक नामावली (Voter List) तैयार करता है तथा मतदाता पहचान पत्र (EPIC) जारी करता है।'
- यह मतदान एवम् मतगणना केन्द्रों के लिये स्थान, मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र तय करना, मतदान एवम् मतगणना केन्द्रो में सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएँ और अन्य सम्बन्ध क्रामों का प्रबन्धन करता है।
- यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है उनसे सम्बन्धित विवादों को निपटाने के साथ ही उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है।
- निर्वाचन के बाद अयोग्य ठहराए जाने के मामले में आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की बैठक हेतु सलाहकार क्षेत्राधिकार भी हैं।
- यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता जारी करता है, ताकि कोई अनुचित कार्य न करे या सत्ता में मौजूद लोगों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए।
- यह सभी राजनीतिक दलों के लिये प्रति उम्मीदवार चुनाव अभियान खर्च की सीमा निर्धारित करता है और उसकी निगरानी भी करता है।

भारत में चुनावी सुधारो का परिचय

यह सर्वमान्य है कि यद्यपि पहले तीन आम चुनाव स्वतन्त्र और निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न हुए, लेकिन 1967 में चौथे आम चुनाव के दौरान चुनावी मानकों में गिरावट शुरू हो गई। कई लोग देश की चुनावी प्रणाली को राजनीतिक भ्रष्टाचार का आधार मानते हैं।

भारत में चुनावी राजनीति से जुड़े मुद्दे

- **धन की शक्ति:** प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार, प्रचार आदि के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। अधिकांश उम्मीदवार खर्च की अनुमत सीमा से कहीं अधिक खर्च करते हैं।

- **मांसपेशी शक्ति:** देश के कुछ हिस्सों में मतदान के दौरान हिंसा, धमकी, बूथ पर कब्जा आदि जैसी अवैध और अप्रिय घटनाओं की व्यापक खबरें आ रही है।

- **राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण:** अपराधी राजनीति में प्रवेश करते हैं और धन और बाहुबल के बल पर चुनाव जीतते हैं, ताकि उनके खिलाफ मामले आगे न बढ़ें। राजनीतिक दल भी तब तक खुश रहते हैं जब तक उनके पास जीतने योग्य उम्मीदवार होते हैं राजनीतिक दल धन के लिए अपराधियों को चुनाव में उतारते हैं. और बदले में उन्हें राजनीतिक संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करते हैं।

- **सरकारी तन्त्र का दुरुपयोग:** आम तौर पर यह राय है कि सत्ताधारी पार्टी अपने उम्मीदवारों की जीत की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकारी तन्त्र का उपयोग करती है, जैसे कि चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों का

उपयोग करना, सरकारी खजाने के खर्च पर विज्ञापन देना, मंत्रियों के विवेकाधीन कोष से भुगतान करना और इस तरह के अन्य साधन अपनाना।

- **गैर–गंभीर स्वतन्त्र उम्मीदवार:** चुनाव में गम्भीर उम्मीदवार गैर–गम्भीर उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हैं ताकि उन वोटों का एक बड़ा हिस्सा कम किया जा सके जो अन्यथा प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों को मिल जाते

- **जातिवाद:** कुछ खास जाति समूहों द्वारा विशिष्ट राजनीतिक दलों को जबर– दस्त समर्थन देने के मामले सामने आए हैं। इस प्रकार, राजनीतिक दल विभिन्न जाति समूहों को लुभाने के लिए तरह–तरह के प्रस्ताव देते हैं और जाति समूह भी अपने सदस्यों के चुनाव में टिकट देने के लिए दलों पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। देश में जातिगत आधार पर मतदान व्यापक रूप से प्रचलित है और यह लोकतन्त्र और समानता पर एक गम्भीर धब्बा है। इससे देश में दरारें भी पैदा होती हैं।

- **सांप्रदायिकता:** सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भारत की बहुलवाद, संसदीय व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता और संघवाद की राजनीतिक विचारधारा के लिए गम्भीर खतरा हैं। सांप्रदायिकता के बारे में अधिक जानने के लिए संबन्धित विचारधारा जिसमें धर्म या संप्रदाय के आधार पर किसी समूह के हितों को सर्वोपरि मानकर दूसरे समुदायों के प्रति घृणा तथा पूर्वाग्रह रखा जाता है। यह विचारधारा समाज में एकता को तोड़ती है और हिंसा, दंगे व विभाजन का कारण बनती है, जो भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक गम्भीर चुनौती है।

- **राजनीति में नैतिक मूल्यों का अभाव:** भारत में राजनीतिक भ्रष्टाचार ने राजनीति को एक व्यवसाय बना दिया है। लोग धन कमाने और अपने धन को बनाए रखने के लिए राजनीति में प्रवेश करते है। ऐसे नेता बहुत कम हैं जो जनता के जीवन में बदलाव लाने के उद्देश्य से राजनीति में आते हैं। सेवा और त्याग के गाँधीवादी मूल्य भारतीय राजनीतिक परिदृश्य से गायब है।

चुनावी सुधारों को लागू करना

अधिकारियों द्वारा किए गए चुनावी सुधारों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: 2000 से पहले और 2000 के बाद

2000 से पहले के चुनावी सुधार

1. **मतदान की आयु में कमी:** संविधान के 61 वें संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

2. **चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति:** चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने, संशोधित करने और उसमें सुधार करने में कार्यरत सभी कर्मियों को ऐसी नियुक्ति की अवधि के लिए चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा और वे चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में रहेंगे।

3. **प्रस्तावकों की संख्या और जमानत राशि में वृद्धि:** राज्य सभा और राज्य विधान परिषदों के चुनावों के लिए नामांकन पत्रों में प्रस्तावक के रूप मे हस्ताक्षर करने वाले मतदाताओं की संख्या को निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के 10% या ऐसे दस मतदाताओं, जो भी कम हो, तक बढ़ा दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य गैर–गम्भीर उम्मीदवारों को रोकना है। गैर–गम्भीर उम्मीदवारों को रोकने के लिए जमानत राशि में भी वृद्धि की गई हैं।

4. **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम):** दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान के राज्य चुनावों के दौरान 1998 में पहली बार पेश की गई ईवीएम का अब व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है क्योंकि वे त्रुटिरहित, कुशल और पर्यावरण की दृष्टि से एक बेहतर विकल्प है।

5. **राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 के उल्लघन के लिए दोषी पाए जाने पर अयोग्यता,:** इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव लड़ने से 6 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा!

6. **दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध:** कोई भी उम्मीदवार दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है।

7. **चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की मृत्य:** पहले, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की मृत्यु होने पर चुनाव रद्द कर दिया जाता था। भविष्य में, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की मृत्यु होने पर कोई भी चुनाव रद्द नहीं किया जाएगा। हालांकि, यदि मृत उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य पार्टी द्वारा नामित किया गया था,तो सम्बन्धित पार्टी को चुनाव आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में नोटिस जारी किए जाने के 7 दिनों के भीतर दूसरा उम्मीदवार नामित करने का विकल्प दिया जाएगा।

8. **शराब की बिक्री पर प्रतिबन्ध:** मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय से पहले के 48 घंटो की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर किसी दुकान, भोजनालय या किसी अन्य निजी या सार्वजनिक स्थान पर शराब या अन्य मादक पदार्थों की बिक्री, वितरण नहीं किया जाएगा।

9. **उपचुनावों की समय सीमा:** संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के उपचुनाव अब उस सदन में रिक्त होने के छः महीने के भीतर आयोजित किए जाएंगे।

2000 के बाद के चुनावी सुधार

1. चुनाव खर्च पर सीमा: वर्तमान में, किसी राजनीतिक दल द्वारा चुनाव या उम्मीदवार पर खर्च की जाने वाली राशि पर कोई सीमा नहीं है। लेकिन आयोग ने व्यक्तिगत उम्मीदवारों के खर्च पर सीमा निर्धारित की है लोक– सभा चुनाव के लिए यह सीमा 50–70 लाख रुपये (राज्य के अनुसार जहाँ से वे लोकसभा सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं) और विधानसभा चुनाव के लिए 20–20 लाख रूपये है।
2. एग्जिट पोल पर प्रतिबन्ध: 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने एक बयान जारी कर कहा था कि एग्जिट पोल के परिणाम केवल अन्तिम चरण के चुनाव समाप्त होने के बाद ही प्रसारित किए जा सकते हैं। ऐसा भावी मतदाता को किसी भी तरह से गुमराह होने या पूर्वाग्रह से ग्रसित होने से बचाने के लिए किया गया था।
3. डाक मतपत्र द्वारा मतदान: 2013 में, चुनाव आयोग ने देश में डाक मतपत्र द्वारा मतदान के दायरे को बढ़ाने का निर्णय लिया। इससे पहले, केवल विदेशों में मिशनों में तैनात भारतीय कर्मचारी और सीमित रूप से रक्षा कर्मी ही डाक मतपत्र द्वारा मतदान कर सकते सकते थे। अब डाक मतपत्र का उपयोग करने वाले मतदाताओं की 6 श्रोणियां हैं: सेवारत मतदाता, विशेष मतदाता, सेवारत मतदाताओं और

विशेष मतदाताओं की पत्नियां, निवारक हिरासत में रखे गए मतदाता, चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता और अधिसूचित मतदाता ।

4. जागरूकता अभियान: सरकार ने चुनाव आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।
5. आयकर लाभ का दावा करने के लिए राजनीतिक दलों को 20000 रूपये से अधिक के किसी भी अंशदान की जानकारी – चुनाव आयोग को देनी होगी।
6. उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक पृष्ठिभूमि, सम्पति आदि की घोषणा करना अनिवार्य है और हलफनामे में झूठी जानकारी देना अब एक चुनावी अपराध है, जिसके लिए 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती हैं।

निष्कर्ष

भारत में निर्वाचन आयोग अठारह आम चुनाव सम्पन्न करवा चुका है। अनेक बार मतदान द्वारा सत्ता परिवर्तन भारतीय राजनीतिक दलों की निर्वाचन में आस्था का घोतक हैं। सत्ता पक्ष में सदैव मतदाता के निर्णय को स्वीकार कर भारतीय निर्वाचन की साख को बढ़ाया हैं। भारत सहज की चुनावी संरचना विश्व की सबसे व्यापक एवम् विश्वसनीय प्रणालियों में से एक है, फिर भी धन बल, अपराधीकरण, डिजिटल मैनीपुलेशन और कमजोर आंतरिक दलीय लोकतन्त्र जैसी लगातार चुनौतियाँ लोकतान्त्रिक मूल्यों के लिए खतरा बनी हुई है, कानूनों का आधुनिकीकरण करने, संस्थानों को सदृढ करने और स्वच्छ एवम् पारदर्शी प्रक्रियाओं को लागू करने के लिये एक व्यापक सुधार दृष्टिकोण आवश्यक है। विभिन्न समितियों की सिफारिशों और सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों को लागू करने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सहभागी हों तथा वास्तव में जनता की इच्छा को प्रतिबिम्बित करें।

सन्दर्भ सूची

1. चुनाव सुधार– सुशासन की ओर एक कदम (मनोज अग्रवाल)
2. भारत में चुनावी राजनीति एवम् चुनाव सुधार के प्रयास (लाखाराम चौधरी)
3. भारतीय राजनीतिः सिद्धान्त, समस्याएँ और सुधार (सुभाष कश्यप)
4. भारत में चुनाव और चुनावी सुधार (एल. एम. सिंघवी, एस. सी. कश्यप, जे. पी. शर्मा)
5. चुनावी सुधार: क्यों और कैसे (के. आर. पिल्लई)।
6. चुनावी सुधार की राजनीति (एलन रेनविक)
7. लोकतन्त्र का नया लोक (अरविन्द मोहन)
8. भारतीय शासन एवम् राजनीति (पुखराज जैन)
9. www.eci.gov.in
10. लोकतन्त्र और चुनाव सुधार (विनायक त्रिपाठी)
11. भारतीय लोकतन्त्र दशा एवम् दिशा (उमेद सिंह इन्दा)
12. इन्द्रजीत गुप्ता समिति रिपोर्ट (1998)
13. दिनेश गोस्वामी समिति रिपोर्ट (1990)
14. विधि आयोग की 170 वीं रिपोर्ट (1999)
15. बोरा समिति रिपोर्ट: राजनीति और अपराध के गठजोड़ पर।
16. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट (वीरप्पा मोइली)
17. www.drishtiias.com
18. www.aajtak.in
19. www.sansadtv.inc.in (संसद टीवी संवाद।
20. पत्र पत्रिकायें, चुनाव सुधार (हिन्दी में) विकिपीडिया।
21. भारत का संविधान (डॉ. पाण्डेय)
22. www.google.com
23. दल बदल और राज्यों की राजनीति (कश्यप, सुभाष)
24. भारतीय लोकतन्त्र के समक्ष चुनौतियां (सेंगर, शैलेन्द्र)